भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

299

न्यायालय माननीय राजस्व मण्ड़ल (म0प्र0)

निगरानी कमांक R. 1519-III/2014

राजपाल सिंह बल्द स्व. जुगलकिशोर परिहार उम्र 50 वर्ष नि. ओरछा तह0 ओरछा जिला टीकमगढ़ म0प्र0

........................निगरानीकार

बनाम

म0प्र0 शासन

.................प्रतिनिगरानीकार

धारा 50 म0 प्र0 भू0रा0सं0 1959 के अन्तर्गत निगरानी प्रतिकूल आदेश विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ओरछा के राजस्व प्रकरण कमांक 57/ अ– 68 / 2012–13 मे पारित आदेश दिनांक 11.04.2014 के विरूद्ध

मुकेश भार्गव एडवोकेट द्वारा आज दि. 15-5-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 15/5/14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव 15-5-14 एडवोकेट ग्वालियर

महोदय

निगरानीकार सादर विनयी है।

1. यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ओरछा का उक्त राजस्व प्रकरण कमांक 57/अ–68/2012 13 मे पारित आलोच्य आदेश विधि विधान व राजस्व प्रक्रिया के पूर्ण प्रतिकूल है। जो माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप व निरस्त योग्य है।
2. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कि सम्बंधित पटवारी हल्का ओरछा द्वारा संहिता की धारा 248 के अंतरगत एक प्रतिवेदन दिनांक 15.10.2012 को तैयार कर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 31.10.2012 को प्रकरण निगरानी कार के विरूद्ध पंजीकृत कर कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया कि मौजा ओरछा की आराजी नम्बर 455 /15 रकवा 9.142 हेक्टेयर के अंश भाग 40x60 वर्गफीट पर मकान निर्माण किया जा रहा है। इस कारण दिनांक 08.11.2012 को उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत करे कि क्यो न संहिता की धारा 248 के तहत अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर वेदखल किया जावे तथा अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में कार्यवाही एक तरफा की जाकर सिविल जेल कार्यवाही प्रस्तावित की जाये। दिनांक 18.12.2012 को उपरोक्त नोटिस कारण बताओ की तामीली होने पर प्रार्थी निगरानीकार नियत दिनांक 09.01.2013 को उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत कर बादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति भय प्रमाण के प्रस्तुत की जिस ओर कोई गौर न कर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पटवारी कथन हेतु नियत किया जिस पर दिनांक 20.06.2013 को पटवारी कथन लिए जाने एवं प्रतिपरीक्षण उपरांत प्रार्थी ने एक आवेद प्रकरण की प्रचलन शीलता को प्रश्नगत करते हुये दि. ंक 20.06.2013 को ही प्र

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1519-तीन/2014 जिला टीकमगढ़ राजपाल विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार ओरछा के प्रकरण क्रमांक 57/अ-68/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 11-04-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 25/2/2019 सदस्य	